

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2018-फाल्गुन 11, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, अनमोल वाधवा, निवासी ब्लॉक नं. 35, पचपेढ़ी, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर सत्यापित करता हूँ कि, मेरी पुत्री का सही नाम सिमरन वाधवा व सही जन्म तिथि 10 नवम्बर, 2001 है. उसके शाला के दस्तावेजों में विवरण गलत दर्ज है. जबकि उसके अन्य दस्तावेजों में उसका सम्पूर्ण विवरण सही है. अतः मेरी पुत्री के शाला के दस्तावेजों में भी उसका सही विवरण उपरोक्तानुसार दर्ज किया जावें.

(715-बी.)

अनमोल वाधवा,  
ब्लॉक नं. 35, पचपेढ़ी, साउथ सिविल लाईन,  
जबलपुर.

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सिया भांमरी पत्नी श्री रजत भांमरी, निवासी डी-11, विवेक विहार, ग्वालियर की हूँ, और यही नाम मेरे आधारकार्ड, वोटकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड आदि में अंकित है. मेरा शादी से पूर्व नाम बलविन्दर कौर पुत्री श्री चरन सिंह था. जो मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मेरी शादी वर्ष 17-04-2009 को रजत भांमरी के साथ हो जाने से मैं श्रीमती सिया भांमरी पत्नी श्री रजत भांमरी के नाम से जानी पहचानी जाती हूँ.

(771-बी.)

पुराना नाम :  
( बलविन्दर कौर )

नया नाम :  
( सिया भांमरी )  
पत्नी श्री रजत भांमरी,  
निवासी-डी-11, विवेक विहार, ग्वालियर.

#### नाम परिवर्तन

मैं, चंदन सिंह ठाकुर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र सोमन्द्र सिंह ठाकुर की मार्कशीट में मेरा नाम चंदन सिंह अंकित है, जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम चंदन सिंह ठाकुर अंकित है. अतः मुझे अब चंदन सिंह ठाकुर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

(773-बी.)

पुराना नाम :  
( चंदन सिंह )

नया नाम :  
( चंदन सिंह ठाकुर )

**CHANGE OF NAME**

I, Vandana A/s Jyoti D/o Shri Shyamlal Hariyani, aged 41 years R/o Angre Colony, Kapoor Factory Ke Pass, Lala Ka Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.) shall henceforth known as Vandana Khatri W/o Shri Dinesh Kumar Khatri, R/o Phadnis Ki Goth, Chavdi Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.) vide affidavit No. AS708351/1122 Sworn before Notary Shri Amar Singh Mahor, Notary Public Govt. of India, Gwalior.

Old Name:  
( **VANDANA A/S JYOTI** )  
D/o Shri Shyamlal Hariyani.  
(774-B.)

New Name :  
( **Vandana Khatri** )  
W/o Shri Dinesh Kumar Khatri.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे वर्तमान में चन्द्रभान सिंह पुत्र रामहेत जाटव, निवासी वार्ड क्रमांक-5, नई बस्ती, अमरपुरा, जेल रोड, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मैंने अपना नाम परिवर्तित कर चन्द्रभान सिंह मौर्य रख लिया है. अतः आज से मुझे मेरे नाम चन्द्रभान सिंह मौर्य से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( **चन्द्रभान सिंह** )  
(775-बी.)

नया नाम :  
( **चन्द्रभान सिंह मौर्य** )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैलेन्द्र लोधवाल है किन्तु मेरे पिता श्री चम्मालाल लोधवाल जी की सेवा-पुस्तिका में मेरा घर का नाम शैलेष कुमार लिखा गया था, अतः सभी सरकारी दस्तावेजों (पिताजी की सेवा-पुस्तिका सहित) में मुझे शैलेन्द्र लोधवाल नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( **शैलेष कुमार** )  
( **SHAILESH KUMAR** )

नया नाम :  
( **शैलेन्द्र लोधवाल** )  
( **SHAILENDRA LODHWAL** )  
158, सरदार पटेल मार्ग, कन्नोद,  
जिला देवास मध्यप्रदेश.

(776-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि शादी पूर्व मेरा नाम अमिता पाटनी था, जिसे शादी के बाद बदलकर अमिता अजमेरा कर लिया था. किन्तु अब मेरा विवाह विच्छेद हो जाने से मैंने अपना उपनाम बदलकर अमिता जैन कर लिया है.

पुराना नाम :  
( **अमिता पाटनी/अमिता अजमेरा** )  
(777-बी.)

नया नाम :  
( **अमिता जैन** )  
16-ई, बख्ताबर, राम नगर, इन्दौर.

**नाम परिवर्तन**

मैं, वसुधा राजपूत ठाकुर सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र सोमेन्द्र सिंह ठाकुर की मार्कशीट में मेरा नाम वसुधा राजपूत अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड और लायसेंस में मेरा नाम वसुधा राजपूत ठाकुर है. अतः मुझे अब वसुधा राजपूत ठाकुर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( **वसुधा राजपूत** )  
(778-बी.)

नया नाम :  
( **वसुधा राजपूत ठाकुर** )  
जे-12, धनवंतरी, अपार्टमेंट एम. ओ. जी.  
लाईन, इन्दौर (म.प्र.)

**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, हार्दिक परनामी, पता 7/4, वार्ड नं. 15, राम मंदिर मार्ग, खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि अभी तक मेरा नाम सभी जगह हार्दिक परनामी के नाम से जाना जाता रहा है. अब से मुझे हार्दिक परनामी के स्थान पर हार्दिक गुप्ता के नाम से जाना जाये, पहचाना जाये. मैं, अपना सरनेम सभी जगह आवश्यकता अनुसार गुप्ता ही लिखूंगा और अपने हस्ताक्षर भी हार्दिक गुप्ता के नाम से करूंगा, अतः इस जाहिर सूचना से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

पुराना नाम :

( हार्दिक परनामी )

(779-बी.)

नया नाम :

( हार्दिक गुप्ता )

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र का नाम आदिश अजमेरा था. किन्तु अब मेरा विवाह विच्छेद हो जाने से मैंने उसका उपनाम बदलकर आदिश जैन कर लिया है. अतः मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नया उपनाम आदिश जैन ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

अमिता जैन,

( माता )

(780-बी.)

16-ई, बख्तावर, राम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, कि राजेन्द्र प्रसाद वैश्य पिता श्री राम टहल वैश्य, उम्र-34 वर्ष, निवासी ग्राम मेढोली, पोस्ट व थाना-मोरवा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) का हूँ. यह कि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राजेन्द्र प्रसाद वैश्य, राजेन्द्र वैश्य एवं राजेश कुमार वैश्य एक ही व्यक्ति मुझ शपथकर्ता के ही नाम हैं. भविष्य में मुझे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त तीनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे राजेन्द्र प्रसाद वैश्य के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( राजेन्द्र प्रसाद वैश्य, राजेन्द्र वैश्य एवं  
राजेश कुमार वैश्य )

(781-बी.)

नया नाम :

( राजेन्द्र प्रसाद वैश्य )

**CHANGE OF NAME**

I, Nazia Munaquib have changed my name to NAZIA MANAQIBWALA D/o MAZAHIR MANAQIBWALA and now I would be known as NAZIA MANAQIBWALA D/o MAZAHIR MANAQIBWALA.

Old Name:

( NAZIA MUNAQUIB )

(782-B.)

New Name :

( NAZIA MANAQIBWALA )

Add:- 117, Saifee Nagar, Indore (M.P.).

**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was NEETA THAWANI after marriage I have changed my name NAINA DULANI W/o MAHESH KUMAR DULANI I will be know by the new name NAINA DULANI W/o MAHESH KUMAR DULANI.

Old Name:

( NEETA THAWANI )

(783-B.)

New Name :

( NAINA DULANI )

Add:- G-2/14, Near Dr. Gyanchandani Clinic,  
Bairagarh, Bhopal (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा चालू नाम शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में निम्नानुसार लिखा गया है।  
बादशाह जैन पिता श्री नवीन कुमार जैन, Badshah Jain S/o Naveen Kumar Jain चमेली चौक, रविशंकर वार्ड सागर (म.प्र.) 470002.

यह कि आज दिनांक 11-09-2017 से मेरा सही नाम उपनाम निम्नानुसार समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभागों में एवं सामान्य तौर पर सुधार कर पढ़ा-लिखा एवं जाना जावे। प्राजंल जैन पिता श्री नवीनचन्द जैन, Pranjai Jain S/o Navin Chand Jain, श्रीमंत भवन, बी. एस. जैन, मार्ग, राजीव नगर, सागर (म.प्र.) 470002.

पुराना नाम :

( बादशाह जैन )

पिता श्री नवीन कुमार जैन,  
चमेली चौक, रविशंकर वार्ड  
सागर (म.प्र.) 470002.

नया नाम :

( प्राजंल जैन )

पिता श्री नवीनचन्द जैन,  
श्रीमंत भवन, बी. एस. जैन, मार्ग,  
राजीव नगर, सागर (म.प्र.) 470002.

(784-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती आरोही लोंधे का नाम विवाह के पूर्व कु. सुषमा पुराणिक पिता श्री सदाशिव पुराणिक था, विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती आरोही लोंधे पति श्री अजय कुमार लोंधे हो गया है। आगे से मुझे इसी नाम से जाना जावे। सूचनार्थ.

पुराना नाम :

( कु. सुषमा पुराणिक )

पिता श्री सदाशिव पुराणिक.

नया नाम :

( आरोही लोंधे )

पति श्री अजय कुमार लोंधे.  
पता-16, देवाशीष एन्क्लेव, कैलाश विहार,  
सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(785-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, रंजीत सिंह लोधी पुत्र श्री रमेश कुमार लोधी जाति लोधी, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम टोरिया मदबासा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र. का हूँ। मैं, एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि अभी तक मेरा नाम सभी जगह रंजीतसिंह राजपूत के नाम से जाना जाता रहा है अब मैं अपना सरनेम परिवर्तित कर रहा हूँ मेरा परिवर्तित सरनेम रंजीतसिंह राजपूत के स्थान पर रंजीत सिंह लोधी रख लिया है अब मुझे रंजीत सिंह राजपूत पुत्र रमेश कुमार राजपूत के बजाय रंजीत सिंह लोधी पुत्र रमेश कुमार लोधी के नाम से जाना जावेगा। मैं, अपना सरनेम आज से लोधी सभी जगह आवश्यकतानुसार लिखूंगा और अपने हस्ताक्षर भी रंजीत सिंह लोधी के नाम से करूंगा और अब से मेरा सरनेम लोधी है।

अतः इस जाहिर सूचना से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

पुराना नाम :

( रंजीत सिंह राजपूत )

(788-बी.)

नया नाम :

( रंजीतसिंह लोधी )

पुत्र श्री रमेश कुमार लोधी,  
निवासी-ग्राम टोरिया मदबासा,  
तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम आर्यन बैरागी था. जो अब परिवर्तित होकर आर्यन निम्बार्क (जाति वैष्णव बैरागी) हो गया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके नये नाम आर्यन निम्बार्क के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

हरिओम निम्बार्क,

36, अलंकार पैलेस,

इन्दौर (म.प्र.).

(789-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम पूर्व में कु. मोनू कल्याणी पिता कैलाश कल्याणी था. अब शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती माही सिरसैया पति अभिनीत सिरसैया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( मोनू कल्याणी )

(MONUKALYANI)

पिता डॉ. कैलाश कल्याणी.

नया नाम :

( माही सिरसैया )

(MAAHSIRSAIYA)

पति श्री अभिनीत सिरसैया,  
पता-393/अ, मानवता नगर, कनाडिया रोड,  
इन्दौर (म.प्र.).

(790-बी.)

**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was VEENA KARAMCHANDANI after marriage I have changed my name RIYA GYANCHANDANI w/o KAMLESH GYANCHANDANI.

Old Name:

( VEENA KARAMCHANDANI )

New Name :

( RIYA GYANCHANDANI )

Add:- 35/362-A, New Behind  
Boys H.S. School, Bairagarh,  
Bhopal (M.P.).

(791-B.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मै. सेन्ट्रल एनालिटीकल लेबोरेट्रीज, पता-523, ए. बी. रोड, पिगडम्बर तह. महु (अम्बेडकर नगर) जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश में दिनांक 27-11-2017 को नए पार्टनर श्री भगत सिंह ठाकुर पिता श्री अम्बाराम ठाकुर एवं जगदीश ठाकुर पिता श्री अम्बाराम ठाकुर दोनों ही पता-523, ए.बी. रोड, पिगडम्बर तह. महु (अम्बेडकर नगर) जिला इन्दौर का प्रवेश हुआ है एवं पार्टनर श्री शांतिलाल मीणा पिता श्री आँकारलाल मीणा, निवासी ग्राम चन्दावड़ तह. धरमपुरी, जिला धार म.प्र. निवृत्त हुए हैं.

अतः श्रीमान शांतिलाल मीणा से फर्म के कारोबार का कोई लेना-देना नहीं है. अगर किसी व्यक्ति या फर्म को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 7 दिन के भीतर हमारे कार्यालय 523, ए. बी. रोड, पिगडम्बर, तह. महु, जिला इन्दौर पर संपर्क करें. अन्यथा किसी भी तरह की हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी.

सेन्ट्रल एनालिटीकल लेबोरेट्रीज,

जगदीश ठाकुर एवं प्रीतिबाला ठाकुर,  
(पार्टनर)

523, ए. बी. रोड, पिगडम्बर

तह. महु (अम्बेडकर नगर), जिला इन्दौर.

(786-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. बुरहानपुर साईजिंग मिल्स, 03 न्यु टी. आई.टी. रोड, जमालपुरा, एमार्गीद, बुरहानपुर भागीदारी फर्म में 10-10-1989 कि लिखित भागीदारी तथा आंशिक परिवर्तन के साथ निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है.

फर्म से दो भागीदार श्रीमती देवकन्या पति श्री आशाराम लढढा तथा श्री राघवेन्द्र पिता आनंदीलाल लढढा, दिनांक 28-11-2016 (28 नवम्बर, 2016) से फर्म से अलग (Retired) हुए हैं. दिनांक 29-11-2016 से मे. बुरहानपुर साईजिंग मिल्स फर्म में निम्न भागीदार नियमित व्यवसाय करते रहेंगे.

1. मनोज कुमार पिता श्री बजरंगलाल लखोटिया, 2. श्रीमती सुशीलादेवी पति श्री ताराचंद लखोटिया,
3. श्रीमती प्रेमलतादेवी पति श्री हरीप्रसाद लखोटिया.

फर्म के संविधान में उपरोक्तानुसार संशोधन किया गया है. जो सनद रहे.

वास्ते:-मे. बुरहानपुर साईजिंग मिल्स,

मनोज कुमार लखोटिया,

(भागीदार).

(787-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि "मे. दीप डेवलपर्स" खण्डवा का दिनांक 26-04-2015 को निर्माण किया गया था. जिसमें निम्न भागीदार थे-1. सुशील कुमार झुनझुनवाला पिता श्री शिवरतनजी झुनझुनवाला, उम्र 63 साल, 7-बी, आनंद नगर हाऊसिंग सोसायटी पिंपरी गेट, रिंग रोड जलगांव (महा.), 2. महेंद्र जैन पिता श्री देवीचंद्र जी जैन, उम्र 54 साल, 40 नवी पेठ, इलची अपार्टमेंट जलगांव (महा.), (3) महेंद्र कोठारी पिता श्री अजयराज जी कोठारी, उम्र 60 साल, 99 भवानी पेठ जलगांव (महा.), (4) विपुल जैन पिता श्री राजेंद्र जी जैन, उम्र 42 साल, पता-417, पड़ावा रोड, खण्डवा (म.प्र.), (5.) विष्णु बाहेती पिता रामस्वरूप जी बाहेती, उम्र 27 साल, पता-50, श्रीनगर कॉलोनी, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.) दिनांक 17-09-2017 को फर्म के भागीदार श्री सुशील झुनझुनवाला पिता शिवरतनजी झुनझुनवाला का निधन हो जाने से उनके वारिस के रूप में सपन झुनझुनवाला को फर्म में जोड़ा गया है. अतः दिनांक 17-09-2017 से फर्म के भागीदार इस प्रकार रहेंगे-1. सपन झुनझुनवाला पिता सुशीलजी झुनझुनवाला, 2. महेंद्र जैन पिता देवीचंद्र जी जैन, 3. महेंद्र कोठारी पिता अजयराजजी कोठारी, 4. विपुल जैन पिता राजेंद्र जैन, 5. विष्णु बाहेती पिता रामस्वरूप बाहेती. सो सूचना जाने.

फॉर-मे. दीप डेवलपर्स,  
विपुल जैन,  
(पार्टनर)  
खण्डवा.

(792-बी.)

### विविध

#### निविदा सूचनाएं

शासकीय क्षय चिकित्सालय, नौगांव में भर्ती शुदा मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु वर्ष 2018-19 के लिये अधोलिखित सामग्री क्रय करने हेतु मुहर बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं.

निविदायें भेजने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल, 2018 दिन 12 बजे तक है. निविदायें दिनांक इसी दिन समस्त उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष दोपहर 12 बजे खोली जाएंगी निविदा प्रपत्र एवं नियमावली उपरोक्त कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 25 मार्च, 2018 में नगद 100/- देकर प्राप्त की जा सकती है. अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा.

अधोलिखित सामग्री नियमावली के तहत क्रय की जानी है.

वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5	वर्ग-6	वर्ग-7	वर्ग-8
1. गेहूँ (अच्छी किस्म की) (शासकीय उचित मूल्य की दुकाने से प्राप्त न होने पर)	1. दाल अरहर (कानपुरी)	1. धनिया पिसी	1. लकड़ी (जलाऊ)	1. सब्जी	1. मौसमी फल	1. डबल रोटी दलिया, विस्कट	1. दूध (साँची का उपलब्ध न होने पर)
2. चावल	2. दाल मूंग (छिलका रहित)	2. हल्दी पिसी					
3. शक्कर	3. खाद्य तेल	3. मिर्च पिसी					
4. चायपत्ती	4. पोहा उपमा	4. जीरा खड़े 5. गरम मसाला खड़ा. 6. नमक पिसा आयोडीन युक्त					

बी. के. मिश्रा,  
अधीक्षक क्षय चिकित्सालय  
नौगांव छतरपुर.

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.0008/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 30 जनवरी, 2018

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक प. श्री राजेश व्यास पिता श्री नन्दकिशोर व्यास अध्यक्ष द्वारा “श्री गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट उज्जैन, पता-53-54, गणेश भवन सिंहपुरी, उज्जैन, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2018 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन, लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	“श्री गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट उज्जैन,
कार्यालय	:	53-54, गणेश भवन सिंहपुरी, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	(1) भवन क्रमांक 53-54 श्री गणेश भवन जवाहर मार्ग, गली नं. 2 सिंहपुरी वार्ड, क्रमांक 21, उज्जैन मध्यप्रदेश. कुल क्षेत्रफल 1040 वर्गफिट. (2) पुराना भवन क्रमांक 3/305, 3/306 नवीन भवन क्र. धर्मशाला पंचान गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज सिंहपुरी वार्ड क्र.21, उज्जैन. मध्यप्रदेश कुल क्षेत्रफल 7850 वर्गफिट खुली भूमि. (3) भवन क्र. 22 श्री क्षिप्रा-गंगा मंदिर श्री गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज पंचायती क्षिप्रातट पथ क्र.1 वार्ड क्र. 32 उज्जैन मध्यप्रदेश. कुल क्षेत्रफल 612 वर्गफिट है.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन-पत्र अनुसार परस्पर सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन, शाखा पटनी बाजार का बचत खाता क्रमांक 58, रु. 8,66,294.

शितिज शर्मा,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

**न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), ग्वालियर-सिटी, जिला ग्वालियर**  
प्र.क्र.-0001/बी-113(1)/2017-18.

### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रन सिंह परमार पुत्र श्री दुर्ग सिंह, आयु 62 वर्ष, निवासी गांधी आश्रम जौरा, जिला मुरैना की ओर से अभिभाषक श्री पी. एन. शर्मा द्वारा "जय जगत ट्रस्ट" स्थित पुरानी छावनी थाने के पास, ए. बी. रोड, जिला ग्वालियर के नाम से न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि के अन्दर मेरे न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | "जय जगत ट्रस्ट".   |
| 2. न्यास का पता | : | संसाधन केन्द्र, पुरानी छावनी थाने के पास,<br>ए. बी. रोड, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश. |
| 3. चल सम्पत्ति  | : | रुपये 25,000/-   |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | कुछ नहीं.  |

यह सूचना आज दिनांक 09 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

(327)

स्वाति जैन,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, हटा (दमोह)**

हटा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

रा. प्र. क्र. 26ब-121/2016-17.

### प्रारूप क्रमांक-4

(नियम-5/1 देखिये)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 का नियम-5/1 के द्वारा]

जगदीश प्रसाद पिता स्व. सुंदरलाल सेन, निवासी रामगोपालजी वार्ड हटा, पो. व तहसील हटा, जिला दमोह.

.....आवेदक

### बनाम

मध्यप्रदेश शासन पंजीयक सार्वजनिक न्यास हटा, जिला दमोह

यह कि आवेदक जगदीश प्रसाद पिता स्व. सुंदरलाल सेन, निवासी रामगोपालजी वार्ड हटा, पो. व तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 27 जनवरी, 2016 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए निवेदन किया गया है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2018 को दिन के 11.00 बजे दोपहर को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में आपत्ति स्वतः या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : मड़िया श्री देव सिद्ध बाबा, ग्राम भिड़ारी, तहसील हटा, जिला दमोह.



2. सम्पत्ति का विवरण : (1) प.ह.न. 55, ग्राम भिड़ारी, ख. नं. 374 रकवा 0.120 हे. के अंशभाग पर 5 मड़ियां निर्मित हैं—(1) सिद्ध बाबा, (2) काली माता, (3) हनुमान जी, (4) शीतला माता, (5) शंकरजी, चांदी के छत्र-3, आरती सेट-1, बाल्टी-2, कोपर-1, न्यास की आय चढ़ोत्तरी से लगभग 3000 रुपया माहवार है. भूमि की कीमत 5,00,000 रुपया एवं संपत्ति की कीमत 1,00,000 रुपया. औसत वार्षिक आय 50,000 रुपया है. न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत भिड़ारी द्वारा कार्य देखा जा रहा है.
- (2) उक्त भूमि में कुआ एक पक्का, इमली, पीपल, केंथा के वृक्ष लगे हुए हैं

नारायण सिंह ठाकुर,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(329)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.185/बी-121/2016-17.

#### प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (सरल प्रकाश इंडों कनेडियन आर्गनाइजेशन ट्रस्ट) द्वारा श्री अमिताभ भटनागर, ट्रस्टी, निवासी म. नं. ई-4/57, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 16 फरवरी, 2018 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों. वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

#### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : सरल प्रकाश इंडों कनेडियन आर्गनाइजेशन ट्रस्ट.  
(कार्यालय म.नं.-ई-4/57, अरेरा कॉलोनी भोपाल).
2. अचल संपत्ति : निल.
3. चल संपत्ति : निल.

आज दिनांक 17 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

संजय कुमार श्रीवास्तव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(331)

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 जनवरी, 2018

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/269.—सहकारी बीज भण्डार समिति मर्या., देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा अंकेक्षण कक्ष की टीप अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय हैं. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सहकारी बीज भण्डार समिति मर्या., देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक/4680, दिनांक 19 मार्च, 1947 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ

(332)

ए. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सतवास, पंजीयन क्रमांक 1580, दिनांक 16 जुलाई, 2015 को आदेश क्रमांक 829, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एल. गोठवाल, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सतवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री बी. एल. गोठवाल को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 01 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(333)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. टिपरास, पंजीयन क्रमांक 1460, दिनांक 21 जुलाई, 2014 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री समीर हरदास, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. टिपरास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री समीर हरदास, उप अंकेक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 03 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

**मनोज जायसवाल,**

उप-पंजीयक.

(334)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	ज्वालादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., देवास	1260/15-02-2012	389/25-01-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

**अनिता मेहरा,**

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(335)

### कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, पन्ना

पन्ना, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/241.—प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., ललार जिसका पंजीयन क्रमांक/पंजीयन/ए.आर.पी./404, दिनांक 02 मार्च, 2000 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/2185 पन्ना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को जारी किया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि, दिनांक 25 जनवरी, 2018 की तिथि नियत की गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, पन्ना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., ललार जिसका पंजीयन

क्रमांक/पंजीयन/ए.आर.पी./404, दिनांक 02 मार्च, 2000 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ, तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

श्री विनोद कुमार मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 06 फरवरी, 2018 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि.

(336)

पन्ना, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/242.—प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., जर्धोवा जिसका पंजीयन क्रमांक/पंजीयन/ए.आर.पी./404, दिनांक 09 फरवरी, 2000 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये। इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/2184 पन्ना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को जारी किया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि, दिनांक 25 जनवरी, 2018 की तिथि नियत की गई थी। इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, पन्ना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., जर्धोवा जिसका पंजीयन क्रमांक/पंजीयन/ए.आर.पी./402, दिनांक 02 मार्च, 2000 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ, तथा साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

श्री विनोद कुमार मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 06 फरवरी, 2018 से प्रभावशील होगा। साथ ही आदेशित किया जाता है कि.

(337)

संजय सिंह आर्य,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/395.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 956, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 द्वारा कृषि नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गिरिश शर्मा, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(338)

उज्जैन, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/396—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 738, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रामातलाई

जिसका पंजीयन क्रमांक 1792, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, S.A.को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(339)

उज्जैन, दिनांक 06 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/397—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 741, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., टिपुखेडा जिसका पंजीयन क्रमांक 1893, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशिष शर्मा, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(340)

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-पंजीयक.

**कार्यालय परिसमापक पदमाशीष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 27 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

पदमाशीष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 22 जून, 1999 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./580, दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे एच. एस. तिवारी, सह. निरी., जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र का दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (आडिट) सहकारी संस्थाएं, भ्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(303)

## कार्यालय परिसमापक चाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 27 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

चाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, तहसील व जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 05 फरवरी, 1998 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक/परि./581, दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे एच. एस. तिवारी, सह. निरी., जिला इन्दौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र का दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक पंजीयक (आडिट) सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एस. तिवारी,  
परिसमापक.

(304)

## कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 13 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

क्र./परि./2018/145.—जिले में स्थित बांस बेंत उद्योग सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक 319, दिनांक 31 मार्च, 1961 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत बांस बेंत उद्योग सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक 319, दिनांक 31 मार्च, 1961 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. परते,  
उपायुक्त सहकारिता.

(366)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च, 2018-फाल्गुन 11, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के जिलों की निर्मांकित तहसीलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, केलारस, सबलगढ़ (मुरैना), कराहल (श्योपुर), मेहगाँव, लहार (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, करैरा, बदरवास (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), गुना, बमौरी, आरोन (गुना), निवाड़ी, जतारा, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, विजावर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), बीना, रेहली, मालथोन (सागर), हटा, पथरिया, दमोह (दमोह), मझगवां, रामकपुरबघेलान, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर (सतना), सिरमौर, गुढ़, रामपुरकुर्चलियान (रीवा), सुहागपुर, ब्योहारी, जयसिंहनगर (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सिंहावल, रापुरनैकिन (सीधी), श्यामगढ़, कयामपुर (मंदसौर), जावद, मनासा (नीमच), खाचरौद (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), बागली (देवास), थांदला, राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाडा, सोण्डवा, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), धार, कुच्छी, मनावर, धरमपुरी (धार), खरगौन, बडवाह, सेगांव, भगवानपुरा (खरगौन), पाटी, बरला, निवाली (बडवानी), पंधाना, हरसूद (खण्डवा), खकनार (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, व्यावरा, सारंगपुर, पचौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), इच्छापुर, रेहटी, श्यामपुर, जावर, गोहरगंज, बरेली (रायसेन), होशंगाबाद, इटारसी (होशंगाबाद), बहोरीबंद, मुडवारा-कटनी, विजयराघवगढ़, बरही (कटनी), बजाग (डिण्डोरी), धनोरा (सिवनी), लांजी, बिरसा, खेरालांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), राधौगढ़, कुम्भराज (गुना), पृथ्वीपुर, बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), गौरीहार, नोगांव, बक्सवाहा, लवकुशनगर (छतरपुर), पवाई (पन्ना), जवेरा, तेन्दूखेडा (दमोह), विरसिंहपुर (सतना), हजूर (रीवा), बुढार, गोहपारू (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), बाधवगढ़ (उमरिया), कुसमी (सीधी), देवसर (सिंगरौली), भानपुरा, गरोट, मंदसौर (मंदसौर), जावरा, बाजना (रतलाम), महिदपुर, तराना, घटिया (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, सतवास, खातेगांव (देवास), मेघनगर, झाबुआ (झाबुआ), देपालपुर, सावेर, महु, अम्बेडकरनगर (इन्दौर), गोगांवा, भीकनगांव (खरगौन), बडवानी, राजकोट (बडवानी), खण्डवा (खण्डवा), नेपानगर (बुरहानपुर), लटेरी (विदिशा), नसरूल्लागंज (सीहोर), आठनेर (बैतूल), बावई, पिपरिया (होशंगाबाद), धीमरखेडा (कटनी), निवास, नारायणगंज (मण्डला), चौरई (छिन्दवाड़ा), घंसौर (सिवनी), बालाघाट, किरनापुर, बैहर, लालवरा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील कोलारस (शिवपुरी), ईशागढ़ (अशोकनगर), खुरई, बण्डा, सागर, गढाकोटा (सागर), जैतपुर (शहडोल), जैतहरी (अनूपपुर), गोपदवनास, मझौली (सीधी), सिंगरौली (सिंगरौली), सीतामऊ, संजीत (मन्दसौर), पिपलौदा (रतलाम), नागदा (उज्जैन), टोंकखुर्द, देवास, हाटपिपल्या, उदयनगर (देवास), पेटलावद (झाबुआ), बदनावर, गंधवानी, डही (धार), झिरन्या (खरगौन), सेंधवा, पानसेमल (बडवानी), पुनासा (खण्डवा), बासौदा, ग्यारसपुर (विदिशा), बेरसिया (भोपाल), आष्टा, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, सिलवानी (रायसेन), मुलताई (बैतूल), वनखेडी (होशंगाबाद), घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, सौंसर, चांद (छिन्दवाड़ा), बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), देवरी, राहतगढ़ केसली (सागर), रघुराजनगर (सतना), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), चितरंगी (सिंगरौली), मल्लहारगढ़, धुन्धडका (मंदसौर), नीमच (नीमच), आलोट, सैलाना, ताल, रवटी, रतलाम (रतलाम), उज्जैन, बडनगर (उज्जैन), मोमनबडोदिया, शाजापुर, कालापीपल (शाजापुर), कन्नोद (देवास), सरदारपुर (धार), इन्दौर, हातोद (इन्दौर), महेश्वर, कसरावद (खरगौन), ठीकरी (बडवानी), सिरोंज, कुरवाई, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर (सीहोर), बेगमगंज, वाडी, उदयपुरा (रायसेन), बैतूल, भैसदेही, घोडाडोगरी, शाहपुर, चिचौली, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पचमढी (होशंगाबाद), हरदा, खिरकिया, टिमरनी (हरदा), रीठी, बडवारा (कटनी), मण्डला, नैनपुर, बिछिया (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), तामिया, परासिया, बिछुआ, अमरवाडा, उमरैठ, मोहखेड, हरई, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनादौन, छपरा (सिवनी), कटंगी, परसवाडा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 245.0 मि. मी. से 449.9 मि.मी. तक- तहसील पाहुर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली में कहीं-कहीं जुताई तथा जिला भोपाल व मण्डला, ग्वालियर व डिण्डौरी में कहीं-कहीं धान रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर व डिण्डोरी में कहीं-कहीं पर बोनी का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति- जिला नीमच, बुरहानपुर, राजगढ़ में सोयाबीन, जिला रतलाम में खरीफ फसलों पर कीट, पीला रोग, जिला झाबुआ में उड़द पर पीला मैजिक रोग, जिला सीहोर में सोयाबीन पर पीला व बांझपन, जिला होशंगाबाद में मूंग, उड़द पर पीला एवं कीट, जिला हरदा में खरीफ फसल पर कीट रोगों का आंशिक प्रभाव तथा जिला छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर कीटों के प्रकोप से 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हानि की संभावना होना प्रतिवेदित किया गया है तथा शेष जिलों में किसी प्रकार का नुकसान न होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. कटाई.- जिला सागर में खरीफ फसलों दमोह में उड़द, भोपाल में उड़द, मूंग की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, सतना, शहडोल, मंदसौर, शाजापुर, नीमच, भोपाल, रायसेन, बैतूल, बडवानी, होशंगाबाद, हरदा व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	9.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	71.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	5.0				
6. सबलगढ़	6.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	88.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	14.0		तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		मूँग, ग्वार समान.		
4. वीरपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	2.0				
5. लहार	14.0				
6. रौन/मिहोना	. .				
7. गौरमी	. .				
8. मौ	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी कार्य चालू. रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	20.0				
<b>5. *जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सेवड़ा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	23.0			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	10.0			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	10.0						
4. नरवर	..						
5. करैरा	6.0						
6. कोलारस	43.0						
7. पोहरी	..						
8. बैरागढ़	..						
9. बदरवास	3.0						
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	27.0			4. (1)	उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	35.0				सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	21.0			(2)	उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	17.0						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	7.9			4. (1)	सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	28.0				समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	2.0			(2)	उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	5.0						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	18.4						
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	7.0			4. (1)	चना, मूँग, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	22.0				ज्वार, उड़द, मूँगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	5.0				सोयाबीन, अरहर कम.		
4. टीकमगढ़	..			(2)	उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	27.0						
6. पलेरा	7.0						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	5.0						
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	24.0			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	20.0						
4. छतरपुर	4.0						
5. राजनगर	5.8						
6. बिजावर	15.0						
7. बड़ामल्हरा	..						
8. महाराजपुर	..						
9. चंदला	..						
10. धुवारा	..						
11. लवकुश नगर	25.0						
12. बक्सवाहा	34.6						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	10.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	3.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	19.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	3.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोंदो, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम 10%	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	41.3		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	51.0				
4. सागर	36.6				
5. रेहली	14.0				
6. देवरी	83.0				
7. गढ़ाकोटा	40.0				
8. राहतगढ़	70.0				
9. कंसली	64.4				
10. मालथोन	6.0				
11. शाहगढ़	. .				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	5.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, तिल, मूँगफली सुधरी हुई	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है		
3. दमोह	4.0				
4. पथरिया	15.0				
5. जवेरा	29.3				
6. तेन्दूखेड़ा	30.2				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	61.3		4. (1) तुअर, तिल, उड़द, मूँग, कोंदो-कुटकी, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूँगफली समान सोयाबीन. रामतिल कम.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान है		
3. रामपुर-बघेलान	11.0				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	11.0				
6. अमरपाटन	15.0				
7. रामनगर	9.0				
8. मैहर	37.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	27.0				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) उड़द, मूँग, तुअर, ज्वार, कोंदो अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	14.0		(2) धान, तुअर, ज्वार, कोंदो समान. सोयाबीन, उड़द, मूँग बिगाड़ी हुई.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	20.4				
6. गुढ़	16.9				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	17.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	12.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, अरहर, उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जैसिंहनगर	15.0				
4. बुढ़ार	26.0				
5. गोहपारू	20.0				
6. जैतपुर	48.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	35.0		4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, कोदो-कुटकी समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	19.9		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	9.7				
4. पुष्पराजगढ़	58.5				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	23.4		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, अरहर तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	12.0				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	41.0		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
3. मझौली	38.6				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	16.8				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	65.1		4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर, कोदो, तिल धान कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	23.6		(2) मक्का, उड़द बिगड़ी हुई. शेष फसलें समान हैं.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	41.5				
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	20.0		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	61.0				
4. गरोठ	20.8				
5. मंदसौर	31.0				
6. श्यामगढ़	4.0				
7. सीतामऊ	40.6				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	73.0				
10. संजीत	40.0				
11. कयामपुर	10.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 सोयाबीन में आसिक क्षति हुई है.	3. . . 4.(1) मक्का, उड़द, मूँगफली अधिक. सोयाबीन, अरहर, मूँग, तिल, ज्वार कम. (2) सोयाबीन कम. शेष फसल सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	4.8				
2. नीमच	56.0				
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	11.0				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 सफेद कीट एवं पीला मैजिक से प्रभावित.	3. . . 4.(1) मक्का कपास कम. सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	29.0				
2. आलोट	67.0				
3. सैलाना	64.0				
4. बाजना	26.0				
5. ताल	81.0				
6. रावटी	83.8				
7. पिपलोदा	37.0				
8. रतलाम	57.0				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) मक्का, उड़द, तुअर, मूँग, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	10.0				
2. महिदपुर	22.0				
3. तराना	31.0				
4. घटिया	34.0				
5. उज्जैन	65.0				
6. बड़नगर	69.0				
7. नागदा	39.0				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) सोयाबीन, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .				
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) मक्का, तुअर लाल, उड़द, अधिक. सोयाबीन, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	63.0				
2. शाजापुर	86.0				
3. शुजालपुर	3.0				
4. कालापीपल	107.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	19.0				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल मूँगफली अधिक हैं सोयाबीन, कपास कम हैं (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	26.0				
2. टोंकखुर्द	43.0				
3. देवास	36.0				
4. बागली	16.0				
5. कन्नोद	57.0				
6. हाटपिपल्या	45.0				
7. सतवास	26.0				
8. उदयनगर	39.2				
9. खातेगांव	20.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द फसल परी पीला भौतिक रोग का प्रभाव हैं.	3. . . 4 (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	10.0				
2. मेघनगर	25.0				
3. पेटलावद	36.4				
4. झाबुआ	30.0				
5. राणापुर	8.0				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	2.0				
2. अलीराजपुर	5.2				
3. कट्टीवाड़ा	15.0				
4. सोंडवा	17.0				
5. उदयगढ	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	10.7				
7. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) मक्का, कपास अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	38.2				
2. सरदारपुर	61.0				
3. धार	14.9				
4. कुक्षी	10.0				
5. मनावर	4.0				
6. धरमपुरी	14.0				
7. गंधवानी	53.0				
8. डही	42.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) ज्वार, मक्का, मूँगमोट, मूँगफली अधिक. तुअर, सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	20.0				
2. सांवेर	24.0				
3. इन्दौर	94.6				
4. हातोद	65.0				
5. महु (डॉ. अम्बेडकर नगर)	25.0				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूँगफली. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	5.6				
2. महेश्वर	61.0				
3. सेगांव	2.0				
4. खरगौन	6.7				
5. गोगावां	34.0				
6. कसरावद	81.0				
7. भगवानपुरा	10.4				
8. भीकनगांव	20.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	50.4				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4 (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	22.0				
2. ठीकरी	63.0				
3. राजकोट (राजपुर)	18.0				
4. सेंधवा	51.0				
5. पानसेमल	50.0				
6. पाटी	11.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	12.0				
9. निवाली	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	26.0		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मूँगफली कम. उड़द समान मक्का, तुअर, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	50.0		(2) सोयाबीन, उड़द, बिगड़ी शेष समान.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	3.0				
5. हरसूद	10.0				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली, मूँग, उड़द, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	10.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
3. नेपानगर	32.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीड़ों का प्रकोप हुआ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	5.2		4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक. धान, अरहर, ज्वार, उड़द, मूँग, मूँगफली कम. तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	13.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खिलचीपुर	5.0				
4. ब्यावरा	2.0				
5. सारंगपुर	3.2				
6. पचोर	10.0				
7. नरसिंहगढ़	2.0				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	34.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	60.0		(2) . .		
3. कुरवाई	64.6				
4. बासोदा	39.4				
5. नटेरन	94.0				
6. विदिशा	89.6				
7. गुलाबगंज	73.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	41.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. उड़द, मूँग कटाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	43.2		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान.		
3. बैरागढ़	72.2				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर पीला मैजिक और बाइपन की शिकायत.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	78.0		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूँग, गन्ना, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	53.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
3. इच्छावर	17.0				
4. नसरुल्लागंज	20.0				
5. रेहटी	14.0				
6. श्यामपुर	4.0				
7. जावर	15.0				
8. बुधनी	39.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	41.6		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	46.0		उड़द, मूँग, तिल, ज्वार.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	54.0		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
4. गोहरगंज	12.0				
5. बरेली	10.9				
6. सिलवानी	46.4				
7. बाड़ी	97.6				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	95.6				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	133.7		4 (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	89.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	80.0				
4. शाहपुर	188.2				
5. चिचौली	80.7				
6. मुलताई	41.1				
7. आठनेर	24.8				
8. आमला	95.0				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. मूँग, उड़द, पीला मैजिक एवं कीट से प्रभावित.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	4.0		4 (1) मूँगमोट, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	103.0		सोयाबीन कम. उड़द अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	24.0		(2) तुअर समान. शेष बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	17.0				
5. सोहागपुर	81.0				
6. पिपरिया	23.0				
7. बनखेड़ी	49.0				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	166.8				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. आंशिक रूप से कीट का प्रभाव है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	66.7		4 (1) उड़द, मूँग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	95.4		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	55.2				
<b>44. *जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जबलपुर	. .		4 (1) . .	6. . .	8. . .
2. कुण्डम	. .		(2) . .		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	16.8		4 (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	24.0		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. बड़वारा	139.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	13.6				
6. विजयराघवगढ़	6.0				
7. बरही	2.0				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. *जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. नरसिंहपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गोटेगांव	. .		(2) . .		
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	59.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	109.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	53.5				
4. निवास	21.2				
5. नारायणगंज	24.0				
6. घुघरी	45.7				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. खरीफ फसलों की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	75.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोंदों, उड़द, रामतिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	54.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	14.3				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की खडी फसल पर कीडों का प्रकोप से 30% से 40% की क्षति की संभावना है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	49.6		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान मूंगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	94.4		(2) सोयाबीन, धान, मूंगफली, बिगड़ी हुई. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	102.8				
4. जामई	. .				
5. सोसर	37.4				
6. बिछुआ	116.1				
7. अमरवाड़ा	86.0				
8. चौरई	27.0				
9. उमरेठ	76.8				
10. मोहखेड	116.4				
11. हरई	111.9				
12. चांद	37.5				
13. जुन्नारदेव	92.8				
13. पाढुर्णा	296.8				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	116.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	131.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	100.0				
4. कवलारी	61.4				
5. लखनादोन	69.5				
6. छपारा	99.2				
7. घनोरा	16.3				
8. घंसोर	21.0				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लौंजी	9.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	25.2				
4. बैहर	20.0				
5. वारासिवनी	38.7				
6. कटंगी	143.8				
7. लालबर्गा	30.0				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	55.0				
10. बिरसा	10.8				
11. खैरलांजी	11.0				

टीप :- \*जिला दतिया, जबलपुर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.